13/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील
प्रार्थी अथवा प्रार्थी की ओर
से कोई उपस्थित नहीं है।
बार-बार आवाज लगवाई गई।
बावजूद आवाज के भी कोई
उपस्थित नहीं आया है। अतः
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible]
खारिज किया जाता है। पत्रावली
[illegible] कुमार रीडर नाजर से
[illegible] हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.05.09 13:18:50 IST
Reason: SelfAttested